न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या–29/2018
तारीख निर्णय– 24/12/2019

प्रार्थीगण

बाघसिंह पुत्र शिवनाथसिंह जाति–राजपूत निवासी–गुडा जैतावतान तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थी

1. रणजीतसिंह पुत्र धुलसिंह जी
2. श्रवणसिंह पुत्र धुलसिंह जी
3. समन्दरकंवर पुत्री धुलसिंह जी
4. धापकंवर पत्नि धुलसिंह

जातिगण–राजपूत,निवासीगण–गुडा जैतावतान तहसील–देसूरी जिला–पाली(राज)

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1– प्रार्थीगण की ओर से– वकील प्रदीप सिंह सोलंकी ।
2–अप्रार्थीगण की ओर से वकील मनोहर दास।

निर्णय **दिनांकः– 24/12/2019**

प्रकरण हाजा के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955 सपठित के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम गुडा जैतावतान पटवार क्षेत्र–मगरतलाव, तहसील–देसूरी जिला–पाली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 241 क्षेत्रफल 1.2800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 242 क्षेत्रफल 1.3500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा–3 कुल क्षेत्रफल 3.1400 हैक्टर लगान [illegible] है। वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी की खातेदारी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी [illegible] का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी [illegible] अप्रार्थी सख्या 4 का 1/24 हिस्सा मे सयुक्त खातेदारी [illegible] अविभाजित हिस्से [illegible] है। प्रमाणस्वरूप जमाबन्दी की प्रति सलग्न है। वादग्रस्त [illegible] राजियात का प्रार्थी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 2 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगण एवं वाद में दर्ज दीगर प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किया हुआ नही है।

जिससे मौके पर अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की आराजी में प्रार्थी के काश्त आदि में नाजायज दखलन्दाजी करते है एवं बिना विधिक विभाजन हुए ही भूमि विशेष को अपनी जताने, खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं वादग्रस्त संयुक्त आराजियात के संयुक्त स्वामित्व के असंगत कृत्य करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थीगण बिना विधिक विभाजन हुए ही वादग्रस्त संयुक्त आराजी के भूमि विशेष भाग को अपने स्वामित्व का होना बता कर बलपूर्वक जबरदस्ती अपनी मन मर्जी से वादग्रस्त आराजी के भूमि विशेष को खुर्द बुर्द, फरोख्त, हस्तान्तरण करने पर आमादा है, मना करने पर टण्टा फसाद पर उतारू है।जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्ध मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थी के 1/6 हिस्से की आराजी में प्रार्थी के काश्त–कब्जा, उपयोग उपभोग में कोई रोक–टोक, बाधा अवरोध, दखलन्दाजी नही करे न किसी अन्य से करावे एवं वादग्रस्त आराजियात को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, हस्तान्तरित, डेमेज नही करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर से वकील श्री मनोहर दास ने वकालत नामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 03 बाद तामिल के अनुपस्थित अतः अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अप्रार्थी संख्या 1, 2 व 4 की ओर जवाब पेश नही करने पर से दिनांक 16.12.2019 को जवाब का अवसर बन्द किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडा जैतावतान पटवार क्षेत्र–मगरतलाव, तहसील–देसूरी जिला–पाली में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एवं वाद पत्र में दर्ज प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 240 क्षेत्रफल 0.5100 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 241 क्षेत्रफल 1.2800 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 242 क्षेत्रफल 1.3500 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा–3 कुल क्षेत्रफल 3.1400 हैक्टर लगान रूपये–21.98 विद्यमान है। वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण एवं वाद में दर्ज दीगर प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी आधिपत्य की अविभाजित है जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन नही किया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में वादी प्रार्थी की खातेदारी का 1/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 2 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 3 का 1/24 हिस्सा, अप्रार्थी सख्या 4 का 1/24 हिस्सा मे सयुक्त खातेदारी

पेज लगातार 3 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:51 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आधिपत्य के अविभाजित हिस्से विद्यमान है। मौके पर अप्रार्थीगण, प्रार्थी के खातेदारी हिस्से की आराजी में प्रार्थी के काश्त आदि में नाजायद दखलन्दाजी करते है एवम् बिना विधिक विभाजन हुए ही भूमि विशेष को अपनी जताने, खुर्द बुर्द हस्तान्तरण करने पर आमादा है एवं वादग्रस्त संयुक्त आराजी के सयुक्त स्वामित्व के अंसगत कृत्य करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को हक अधिकार नही है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी व्यादेश जारी करने का आदेश जारी किया जावे।

वकील अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी उक्त वादग्रस्त आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है तथा आराजी का मौके पर इनके दादा व पिता शिवनाथसिंह तथा गनेसिंह के समय से गांव के मौजीन लोगो की उपस्थित में आपसी सहमति एवं रजामन्दी से मौखिक रूप से प्रार्थी एव अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 4 के बीच पूर्व में बंटवाडा हो चुका है बंटवारा के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का कब्जा काश्त खसरा नम्बर 241 की सम्पूर्ण भूमि पर तथा खसरा नम्बर 240 की भूमि पर 1/2 हिस्सा पर है। उक्त भूमि के बदले में खसरा नम्बर में खसरा नम्बर 195 व 196 की भूमि पूरी की पूरी तथा खसरा नम्बर 280 में से 1/2 हिस्सा पर कब्जा वादी व स्व धनसिंह के वारिसान इन्द्रसिंह व अन्य को दिया है जिसका मौके पर काश्त है।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 के बंट में आई भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने अपनी बंट शुदा भूमि को मौके पर काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने वादी की कब्जा काश्त भूमि पर कभी भी दखलन्दाजी नही की है। प्रार्थी इस आराजी के सहखातेदार है जो अपने बंट व कब्जा शुदा भूमि पर काबिज है एवं शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। अतः प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया एवं इस पत्रावली व मूल वाद—पत्र की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न तीन बिन्दुओं पर विचारण किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:32:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रथम दृष्ट्या मामला :— प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित आराजी के सहखातेदार है। तथा उक्त आराजी पर मौके पर पूर्व में हुई आपसी सहमति से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवम् उसी अनुसार मौके पर काबिज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला में बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 4 पर...

सुविधा का संतुलन :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का संतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। अप्रार्थीगण विवादित आराजियात खसरा नम्बर 240,241,242 के रिकोर्डेड सहखातेदार रहे है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे खुद स्वीकार किया है कि मौका पर आपसी सहमति से जमीन पर कब्जा काश्त चला आ रहा है अतः अप्रार्थीगण के खिलाफ यदि किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी को अधिक असुविधा होगी अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होता है।

अपूरणीय क्षति :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। वाद मात्र बंटवाडा के है व सभी खातेदार का हिस्सा बराबर है। यदि विवादित आराजियात खसरा नम्बर 240, 241, 242 के संबंध मे प्रार्थी के पक्ष मे एवम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो प्रार्थी को कोई ऐसी अपूरणीय क्षति नही होगी। जिसकी भरपाई रूपयो पैसो से नही की जा सके अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है। अतएवं

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज0काश्त0 अधि0अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

सहायक कलेक्टर
देसूरी (पाली)

आदेश आज दिनांक–24/12/2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.04.12 15:52:51 IST
Reason: SelfAttested